

संख्या- 20/जी/5321- प्रशासन-I


भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 24 फरवरी, 2025

कार्यालय आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.02.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं0 6/3/2025-ई.ओ. (एम.एम.-I) के अनुसरण में तथा पुलिस आयुक्त कार्यालय, दिल्ली के दिनांक 24.02.2025 के आदेश सं0 9621-9770/Deputation/CB/PHQ द्वारा कार्यमुक्त करने के पश्चात, श्री गुरइकबाल सिंह, भारतीय पुलिस सेवा (ए.जी.एम.यू.टी. : 2012) को दिनांक 24.02.2025 (अपराहन) से चार वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 24.02.2029 (अपराहन) तक या अगले आदेश तक, केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत उप सचिव के पद पर [वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रू0 78,800-2,09,200)] गृह मंत्रालय में नियुक्त किया जाता है।



(एस. के. भार्गव)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 23092001

सेवा में,

1. श्री गुरइकबाल सिंह, भारतीय पुलिस सेवा (ए.जी.एम.यू.टी. : 2012), उप सचिव, गृह मंत्रालय।
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय (सचिवालय), जीवन विहार भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. रोकड़ अनुभाग, गृह मंत्रालय (एक अतिरिक्त प्रति के साथ)।

प्रतिलिपि :-

1. गृह मंत्री/गृह राज्य मंत्री (एन)/ गृह राज्य मंत्री (बी.एस.) के निजी सचिव।
2. गृह सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी।
3. सचिव (बी.एम.) / सचिव (जे) / सचिव (ओ.एल.) / विशेष सचिव (आई.एस.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
4. अपर सचिव (एन.ई., प्रशासन, समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) / अपर सचिव (पुलिस-I) / अपर सचिव (पुलिस-II) / अपर सचिव (डी.एम. एवं पी.एम.) / अपर सचिव (यू.टी. एवं डब्ल्यू.एस.) / अपर सचिव (एफ), अपर सचिव एवं एफ.ए./ डी.जी. (अवार्ड्स) / डी.जी. (मीडिया) के प्रधान स्टाफ अधिकारी / वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ प्रधान निजी सचिव।
5. गृह मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव।
6. उप सचिव (स्था. एवं सतर्कता) / उप सचिव (प्रशासन) / मुख्य सुरक्षा अधिकारी।
7. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग [सुश्री एनीज़ कनमानी जॉय, उप सचिव (ई.ओ. (एम.एम.-I))], नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - इनके ऊपर संदर्भित आदेश के सम्बन्ध में।
8. पुलिस आयुक्त कार्यालय, दिल्ली (श्री जिम्मी चिरम, पुलिस उपायुक्त), मुख्यालय-III, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली - इनके ऊपर संदर्भित आदेश के सम्बन्ध में। यह अनुरोध है कि अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र इस मंत्रालय को अग्रेषित करें।
9. अवर सचिव (सतर्कता) / अवर सचिव (रोकड़) / अवर सचिव (प्रशासन-III) / अवर सचिव (प्रशासन-V) / अवर सचिव (आर.टी.आई.)।
10. गृह मंत्रालय (प्रमुख) के सभी अधिकारी / अनुभाग / डेस्क-ई -ऑफिस पोर्टल के माध्यम से।
11. सम्बंधित अधिकारी की वैयक्तिक मिसिल एवं सेवा पुस्तिका।
12. अनुभाग अधिकारी (आई.टी.), गृह मंत्रालय - आदेश को ई-ऑफिस पोर्टल और गृह मंत्रालय के पोर्टल (www.mha.gov.in) पर अपलोड करने के लिए।